



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 246 राँची, शुक्रवार,

5 जून, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

13 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-14/2019 का०-2302--ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2111, दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-594, दिनांक 04.06.2015 द्वारा देवघर, गिरिडीह, दुमका एवं गोड्डा जिले में विधायक मद/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद में सोलर स्ट्रीट लाईट/व्यक्तिगत सोलर लाईट क्रय के क्रम में हुई अनियमितता के संबंध में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री शशि भूषण मेहरा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-699/03), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को वित्तीय नियमावली के अनदेखी के लिए जिम्मेवार माना गया, जिसके आलोक विभागीय पत्रांक-6944, दिनांक 10.09.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. श्री मेहरा के पत्रांक-493, दिनांक 22.12.2018 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि माननीय तत्कालीन विधायक, गाँडेय विधान सभा क्षेत्र द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में मात्र एक अदद सोलर लाईट का क्रय किये जाने संबंधी निविदा की बैठक कार्यवाही मात्र में हस्ताक्षर किये जाने तक ही इनकी भूमिका रही है।

4. श्री मेहरा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2430, दिनांक 19.03.2019 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-918/वि0, दिनांक 31.10.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि निविदा में सभी आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

5. श्री मेहरा के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस मामले में इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव ।
